राजस्थान सरकार
राजस्व (3) विभाग

क्रमांक : 3(12)राज–3/2017 जयपुर, दिनांक 19.12.2019

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– भूमि आवंटन व संपरिवर्तन के समस्त प्रकरणों में नियमानुसार सम्पूर्ण देय राशि जमा करने की तिथि को प्रचलित बाजार/डी.एल.सी. दर को आधार मानने बाबत।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बने विभिन्न भूमि आवंटन व भूमि संपरिवर्तन नियमों में बाजार दर अथवा डी.एल.सी. दर को आवंटन शुल्क व संपरिवर्तन शुल्क आदि हेतु आधार माना गया है। मांग पत्र जारी करने की तिथि से मांग की राशि जमा करने की तिथि व आवंटन/संपरिवर्तन आदेश जारी करने की तिथि के बीच इन दरों में बदलाव संभव है। पूर्व में परिपत्र दिनांक 6.7.2018 जारी कर यह आदेश दिए गए थे कि विभागीय परिपत्र प4(16)राज–4/85 दिनांक 2.3.1987 के तहत किए गए भूमि आवंटन के प्रकरणों में भुगतान के लिए मांग पत्र जारी किए जाने व आवंटन आदेश जारी करने के मध्य यदि डी.एल.सी. दर में वृद्धि होती है, तो अंतर राशि जमा कराने हेतु संबंधित विभाग/आवंटी से अण्डर टेकिंग ली जाएगी एवं मूल राशि जमा करने पर आवंटन आदेश जारी किया जाए। किन्तु अन्य आवंटन अथवा भूमि संपरिवर्तन के प्रकरणों में किस तिथि को आधार माना जाए, इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।

पूरे मामले में समग्र रूप से विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि भूमि आवंटन व संपरिवर्तन के समस्त प्रकरणों में नियमानुसार सम्पूर्ण देय राशि जमा करने की तिथि को प्रचलित बाजार/डी.एल.सी. दर को आधार माना जाए। यदि मांग पत्र जारी करने व राशि जमा करने की तिथि के बीच बाजार/डी.एल.सी. दर में कोई बदलाव होता है तो परिवर्तित दर के अनुसार मांग राशि जमा करने हेतु आवंटी/आवेदक उत्तरदायी होगा। किन्तु यदि संपूर्ण राशि जमा करने के उपरांत व आदेश जारी करने से पूर्व बाजार/डी.एल.सी दर में कोई बदलाव आता है तो अंतर राशि नहीं ली जाएगी।

यह आदेश इस संबंध में जारी पूर्व परिपत्र दिनांक 06.07.2018 के अतिक्रमण में जारी किया जा रहा है। समस्त अधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करें।

19.12.19

(कलमेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. लेखा परीक्षा अधिकारी (समीक्षा) कार्यालय, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र ले.प.) राजस्थान जयपुर को उनके पत्र कमांक आर.एस. ऐ–III/एल.आर./समीक्षा/2016–17 /746 दिनांक 23.09.16 के कम में।

19.12.19

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner